राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	245 / 2020 बनवारीलाल / छोटेलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/7/20	कार्यालय रिपोर्ट होकर पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड करे। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस के प्रारम्भ में हमारा ध्यान जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 की और आकर्षित करा कर निवेदन किया की अपीलार्थी विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 494 का खातेदार काश्तकार है एवं रेस्पो. संख्या 1 लगायत 4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर उनकी खाते की आराजी खसरा नम्बर 495 की सीव पर बने रेस्पो. के स्थायी निर्माण को तोड़ कर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण करने व निर्माण कार्य करने का अंकन कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आये है एवं अधीनस्थ न्यायालय से आदेश जैर अपील इकतरफा में पारित करवा कर अपीलार्थी को उनके खाते की आराजीयात के उपयोग-उपभोग में बाधा डाल रहे है। आदेश जैर अपील के आड़ में अपीलार्थी को हैरान परेशान कर रहे है अत: आदेश जैर अपील की क्रियान्विति स्थगित रखी जावें। हमने अभिभाषक अपीलार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से अपीलार्थी का यह कथन सही प्रतीत होता है की इस अपील के रेस्पो. संख्या 1 लगायत 4 जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/प्रार्थी है के द्वारा विचाराधीन प्रकरण के माध्यम से उनके खाते की आराजी खसरा नम्बर 495 एवं अपीलार्थी के खाते की आराजी खसरा नम्बर 494 की सीव पर अतिक्रमण कर नीव खोद कर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने को प्रकरण का मुख्य बिंदु अंकित किया गया है। चूँकि विचाराधीन प्रकरण में मुख्य विवाद बिन्दु खसरा नम्बर 495 एवं 494 की सीव ढोल से सम्बन्धित है जिसका निस्तारण सीमाज्ञान से ही किया जा सकता है। अत: आदेश जेर अपील में कोई हस्तक्षेप नही करते हुए न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश प्रदान किये जाते है की वे विचाराधीन प्रकरण के शीघ्र एवं विधिक निस्तारण के लिये प्रशनगत भूमि खसरा नम्बर 494 व 495 का सीमा ज्ञान किये जाने की कार्यवाही कर प्रकरण का निस्तारण करे एवं अपीलार्थी को न्यायहित में यह निर्देश प्रदान किये जाते है की वे सीमा ज्ञान के सबन्ध में अधीनस्थ न्यायालय / सम्बंधित तहसीलदार आवेदन प्रस्तुत कर सीमा ज्ञान करवाये। तदनुसार इस हद तक अपील स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 30/07/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर